



Standard Operating Procedure for Child Budgeting in Bihar

Health

Nutrition

Education

Protection

Participation

Development

Rights



**STANDARD OPERATING PROCEDURE
FOR
CHILD BUDGETING IN BIHAR**

**DEPARTMENT OF FINANCE
GOVERNMENT OF BIHAR**

**TECHNICAL COLLABORATION
UNICEF BIHAR FIELD OFFICE
AND
ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE (ADRI)**

NOVEMBER 2019

Suggested Citation

Government of Bihar, Department of Finance. 2019. *Standard Operating Procedure for Child Budgeting in Bihar*. Patna: Government of Bihar.

© Copyright

Department of Finance, Government of Bihar. November 2019.

Guidance

S. Siddharth, Prabhat P. Ghosh, Asadur Rahman

Technical Team

Barna Ganguli, Urvashi Kaushik, Bakshi Amit Kumar Sinha, Rahbar Ali, Sanjeev Mittal, Ajay Thakur

Facilitation

Shailey Tucker, Sudip K. Pandey, Suryakant Kumar, Suraj Shankar

Paintings

The paintings used in the publication were developed by a group of children aged 13-19 years from Kilkari - Bihar Bal Bhawan and The Bihar Youth for Child Rights Forum in Patna in October 2019. The group discussed what it understood by child rights and child budgeting, and then created the artwork. The selected paintings are by : Aditya Raj, Animesh, Ankur Kumar, Dhananjay Kumar and Harsh Raj.

Graphic Design


Amitabh Pandey

Financial Support

UNICEF Bihar Field Office, Patna.



Shri Sushil K Modi
Deputy Chief Minister and
Minister of Finance



Message

In a state where almost half its population are under the age of 18, it becomes imperative that public funds are allocated and invested efficiently to ensure holistic welfare of this age group. The Government of Bihar's investment in the state's children and adolescents aims to ensure that each and every child is provided with the opportunity to optimally develop his or her capabilities and skills, evolving to become a healthy, educated, active and productive citizen.

With this end in view, the Government of Bihar launches the Standard Operating Procedures for Child Budgeting in Bihar with great aspirations. This is the first step towards prioritising the needs of our children and streamlining the budgeting processes across various departments. I thank our colleagues at the Department of Finance for taking the lead in this direction as also other line departments, UNICEF Bihar and the Asian Development Research Institute for their involvement with deep commitment in this important task.

(Shri Sushil K Modi)
Deputy Chief Minister and
Minister of Finance



Dr. S. Siddharth
Principal Secretary
Department of Finance



Message

Bihar is one of the three states in India to chart out a separate Child Budget Statement as part of full state budget. In a move towards further strengthening and prioritising the need of the state's children and adolescents, the Department of Finance, Government of Bihar, is feeling proud to launch the 'Standard Operating Procedure (SOP) for Child Budgeting in Bihar'. With this SOP, we look forward to moving towards an even more efficient, effective, and accountable planning and budgeting system, expressly geared towards mapping and utilising resources targeting children. In particular, the SOP brings additional government departments to the fold, expanding the focus on child-specific and child-related expenditure in the state. The Department especially looks forward to working with these newly associated departments more closely as we jointly develop the annual Child Budget Statement.

A very special thanks to the children who participated in the cover design of this document.

(Dr. S. Siddharth)
Principal Secretary
Department of Finance



Shri Asadur Rahman
Chief
UNICEF Bihar



Message

UNICEF congratulates the Government of Bihar on the release of Standard Operating Procedure for Child Budgeting. Child Budgets are a highly useful tool for planning and monitoring of public investments for children. Bihar is one of only three states in the country who table a Child Budget statement and this SOP will strengthen the Child Budgets further. The SOP contains guidance on identifying inputs, expands the horizon of the contributing departments, streamlines the processes, and clarifies roles of different stakeholders.

UNICEF is pleased to be a part of the joint collaboration with Asian Development Research Institute and the Government of Bihar working on child budgets analysis and development of the SOP. Planned next steps include capacity building interventions for effective roll out and monitoring and documentation of the effort. Once again, we welcome this initiative and reiterate our commitment to support all endeavors to improve the lives of children of Bihar.

(Shri Asadur Rahman)
Chief
UNICEF Bihar



Dr. Prabhat P Ghosh

Director,

Asian Development Research Institute (ADRI)



Message

In recent years, the Asian Development Research Institute (ADRI) has undertaken extensive research on the financial base of several interventions in social sectors by the state government. These studies are indicative of the state government's development priorities and, as such, are useful, particularly for assessing child and gender benefits. But unfortunately, the budgeting process itself is not generally mindful of the developmental implication of the allocation process. Through the practice of 'Child Budgeting', the state government can ensure that the child development receives the due attention in the state's overall allocation pattern.

It is against this background that ADRI, with valuable inputs from senior professionals from the state government and UNICEF, has prepared the Standard Operation Procedure (SOP) for Child Budgeting. With the publication of this document, we hope that henceforth we will be able to prioritise the needs of Bihar's children and ensure their overall development, protection and participation.

(Dr. Prabhat P Ghosh)

Director, ADRI

TABLE OF CONTENTS

■	3	Executive Summary
■	4	Introduction
■	7	Objectives
■	8	Definitions
■	10	Domains
■	11	Procedural Steps
■	19	Appendix
■	23	References

List of Figures

■	13	Figure 1 Representation of Budget for Children
■	14	Figure 2 Classification of a Budget Head

List of Tables

■	15	Table 1 Coding Pattern for Accounts Classification
■	17	Table 2 List of Line Departments already in Child Budget Document
■	18	Table 3 List of Additional Line Departments to be included in Child Budget Document

Executive Summary

The World is celebrating 30 years of the ratification of the United National Convention on the Rights of the Child (UNCRC), an international law guaranteeing all children aged 0-18 years, without any discrimination, the right to survival; education and development; protection; and participation. India has ratified the UNCRC and has enacted policies and laws to realise the rights of its children, including the right to free and compulsory education, the right to food, the right to be protected from child labour, the right to protection from sexual offences, the National Policy for Children, and a National Plan of Action for Children, and so on. In 2019, the Government of Bihar has rolled out the Bihar State Plan of Action for Children (BSPAC) 2019-24, which identifies key imperatives, provides strategies and sets out targets ensuring the rights of children in Bihar, which constitute 48 percent of the state's total population.

In order to prioritise the needs and well-being of children, it is imperative to invest adequate resources and to track public expenditure towards public service provision for children. A budget statement that clearly tracks the allocations and expenditures focusing on children can go a long way in increasing transparency and accountability in realising children's rights. A child budget is not independent of the state budget; rather, it is an analysis of state budget allocations in light of the statutory, legal and other policy commitments towards children that have a direct impact on their quality of life and the opportunities available to them.

Bihar is one of only three Indian states that publish a Child Budget Document, it began this process in 2013-14. Between 2013-14 and 2017-18, the Government of Bihar had allocated a cumulative amount of Rs. 80,827.85 crore towards child welfare and spent Rs. 67,101.02 crore during the same period. The total allocation for children during this period has increased at an annual rate of 18.1 percent, while the expenditure has grown at a rate of 26.1 percent. This Standard Operating Procedures (SOP) for Child Budgeting in Bihar is an attempt to strengthen and expand the scope of institutional public finance mechanisms focusing on children in the state. It provides clear definitions of the kinds of expenditures to be included and step-by-step guidance for the child budgeting processes.

Introduction

Bihar has 38 districts spread over an area of 93.6 lakh hectares, accounting for nearly 3 percent of the country's total geographical area. It had a population of 1,041 lakh in 2011, which was about 8.6 percent of country's total population of 12,106 lakh. In 2018, Bihar's population was estimated to be around 1,220 lakh. The state is divided into nine divisions, i.e., Patna, Magadh, Saran, Tirhut, Darbhanga, Kosi, Purnea, Bhagalpur and Munger. Each of these regions has its own distinct cultural identity. The density of population in Bihar (1,106 persons per sq. km.) is nearly three times higher than that of India as a whole (382). At 11.3 percent, the level of urbanisation in Bihar is the lowest in the country, which has an average urbanisation rate of 31.2 percent. In 2017-18, the highest growth rate for the state was recorded by the tertiary sector (14.6 percent), while the same for the primary and secondary sectors decelerated to 1.4 and 2.5 percent, respectively. However, overall, Bihar's growth rate was recorded to be 11.3 percent in 2017-18 and 9.9 percent in 2016-17. During both these years, the growth rate of the national economy was around seven percent.¹

Along with a focus on the overall economy, the state government has also prioritised public spending on the social sector. Bihar's Per Capita Development Expenditure (PCDE) has grown steadily at an annual rate of 15.8 percent between 2011-12 and 2017-18. The expenditure on education in the state increased from Rs. 10,214 crore in 2011-12 to Rs. 26,394 crore in 2017-18, registering an annual increase of 14.4 percent, which is 1.9 percentage points higher than that of the all-India average of 12.5 percent during the same period. Likewise, the rate of growth of Bihar's health expenditure during these seven years was also high at 22 percent.² Despite pragmatic steps and policy reforms, the state still faces human development challenges. The poverty ratio in Bihar is 33.7 percent, which is 12 percentage points higher than that of India (21.9%).³ Bihar is the least literate state in India, with a literacy rate of 61.8 percent. The sex ratio in Bihar is 918 females per 1000 males, which is below the national average

¹ Government of Bihar, Department of Finance (2018-19), *Bihar Economic Survey 2018-19*, Patna: Government of Bihar.

² Ibid.

³ Government of India (2009), *Report of the Expert Group to Review the Methodology for Estimation of Poverty*. New Delhi: Planning Commission.

of 940.⁴ It is praiseworthy that the Life Expectancy at Birth (LEB) in Bihar is similar to that of India (68.7 years), while the Infant Mortality Rate (IMR) (2017) for Bihar is slightly lower than the national average, at 35 per 1000 live births against 33 per 1000 live births for India. Regarding the Maternal Mortality Rate (MMR), Bihar has outperformed several states by bringing down its MMR to 165 per lakh live births in 2014-16 from 208 per lakh live births in 2011-13. This is also closer to the rate for India, which was 130 per lakh live births in 2014-16.⁵ Due to these factors, the Human Development Index of Bihar was 0.447, lower than that of 0.504 for India as a whole.⁶

The child population of a country covers the age group of 0-18 years and is a vulnerable segment of the population. As per the Census of India 2011, almost 39 percent of India's population lies in the age bracket of 0-18 years, where as, in Bihar, 48 percent of the total population falls in this age group. The state is home to 4.98 crore children, accounting for 11 percent of India's total child population; of this, 4.47 crore (89.9 percent) live in rural areas and 0.50 crore (10.1 percent) in urban areas, and, in terms of gender, 2.35 crore are female and 2.62 crore male children. The children in the age group of 0-6 years, 7-14 years and 15-18 years constitute 38.4 percent, 45.4 percent and 16.2 percent of the total child population in the state, respectively. Of the total child population of 4.98 crore, nearly 81.2 percent are Hindus, followed by 18.3 percent Muslims, 0.1 percent Christians and about 0.4 percent belonging to other religions, including Sikhism, Buddhism, and Jainism. Moreover, the proportion of Scheduled Castes (SC) (16.9 percent) and Scheduled Tribes (ST) (1.3 percent) children in the same age group add up to 18.2 percent of the entire population.

As children are the future of any state, they deserve the best in public investment to secure their survival, development, security, and dignity. The UNCRC and India's *National Policy for Children, 2013*, both underscore the significance of carrying out a transparent child-responsive budgeting exercise. The *General Comment* (no. 19 of 2016) of the United Nations Committee on the Rights of the Child outlines in detail the obligations of all countries that have ratified the UNCRC, including India, on how to implement public budgeting for

⁴ Government of India (2011), *Census of India*. New Delhi: Registrar General of India.

⁵ Government of India, Sample Registration System, Registrar General of India, New Delhi.

⁶ United Nations Development Programme, India (2011), *Inequality Adjusted Human Development Index for India's States*, New Delhi.

children.⁷ In India, the Union Budget includes a separate child budget statement (Statement 12), entitled “Budget Allocations for the Welfare of Children” and the *National Policy for Children, 2013*, explicitly states that “child budgeting will track allocation and utilisation of resources and their impact on outcomes for children with regard to budgets and expenditures on children by all related Ministries and Departments.”⁸ A child budget is not a budget independent of the state budget; rather, it is an analysis of state budget allocations in light of the statutory, legal and other policy commitments towards children that have a direct impact on their quality of life and the opportunities available to them. It facilitates the realisation of child rights through measurable interventions, becoming a tool of accountability to ensure their well-being.⁹ It exposes the sincerity of policy-makers in prioritizing an enabling resource environment for—often overlooked—children. In this process, the state budgets are recalculated on the basis of child programmes.

In Bihar, the child budgeting process started in 2013-14. Presently, along with Assam and Kerala, Bihar is one of three Indian states that prepare a separate Child Budget Document. The Government of Bihar allocated a total of Rs. 80,827.85 crore between 2013-14 to 2017-18 for children between 0-18 years of age in the state budget and spent Rs. 67,101.02 crore during the same period. While comparing budget estimates with actual expenditure, it is seen that there is a fiscal gap of Rs. 13,726.83 crore, which is almost 17 percent of the total budgeted amount. Overall, there has been a steady increase in child budget allocations in Bihar during the last five years; between 2013-14 and 2017-18, the total allocation for children has increased at an annual rate of 18.1 percent. Similarly, the expenditure has also grown at a rate of 26.1 percent, which is even higher than the allocation and is indeed commendable.¹⁰ The allocation for children in 2019-20 is Rs. 20,889.74 crore.¹¹

⁷ United Nations Committee on the Rights of the Child (2016), *General Comment no. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights (art. 4)*.

⁸ Government of India, Ministry of Women and Child Development (2013), *National Policy for Children*.

⁹ Save the Children (2016), *Child Budget for 2016-17: Stepping into the era of SDGs for Every Last Child*.

¹⁰ Government of Bihar, Department of Finance (2018-19), *Bihar Economic Survey 2018-19*.

¹¹ Government of Bihar, Department of Finance (Various Years), *Child Welfare Budget*.

Objectives

With a view to strengthen the institutional mechanisms for child-responsive public finance in Bihar, this Standard Operating Procedure (SOP) for Child Budgeting incorporates crucial guidance on preparing child budgets for the budget officers of relevant line departments, other officials working on child-related programmes and other stakeholders, including from civil society, engaged in the child budgeting process. The SOP provides guidelines on how to identify the budget heads meant for children, strengthen the planning and coordination processes, and clarify stakeholders' roles. It serves as a base for developing universal guidelines for all line departments so that the total expenditure on children in the state may be representatively collated, planned and tracked.

The policies and procedures of the SOP are applicable to all personnel involved in the planning, coordination, preparation, and reporting of the Child Budget of the state.

Definitions

1. **Child:** According to the UNCRC, a child means every human being up to 18 years of age. All children in the age bracket of 0-18 years will be included in the Child Budget, including children living in families below the poverty line, orphanages or care homes (children in need of care), juveniles (children in conflict with the law) and children with disability.
2. **Child Budget:** The total magnitude of outlays/expenditure on child-specific schemes from the budget is referred to as the magnitude of the 'child budget.' Thus, 'child budget' is not a separate budget, but a part of the usual government budget.
3. **Child Rights:** These include the following four rights guaranteed to all children- (a) survival, health and nutrition (b) education and development, (c) protection and (d) participation. The *National Policy for Children, 2013*, and the *Bihar State Plan of Action for Children 2019-24*¹² both reaffirm the Central and state governments' commitments to uphold and realise the above rights of all children.
4. **Child-specific allocation/spending:** As also defined by Jha *et al.* (2019),¹³ child-specific expenditures include programmes or interventions that are 100 percent child-related and that exclusively target children in the age group of 0-18 years. This includes finance for early childhood care and education, primary and secondary education, child health and nutrition schemes, child care and protection, juvenile justice, and social welfare schemes targeting children of different vulnerable communities. It should be noted that finance for maternal health and benefits is also included in this category.
5. **Child-relevant allocation/spending:** Exclusive public investment on children is a necessary but insufficient condition to ensure their well-being;

¹² Government of Bihar, Department of Social Welfare (2019), *Bihar State Plan of Action for Children*, Patna: Government of Bihar.

¹³ Jha, J., Madhusudhan Rao, B.V., Siddarth, S., Sowmya, J., Lekshmi, P. T., Susmitha, M. V., Deepa, K. S., and Abraham, S. M. (2019). *Public Expenditure on Children in India: Trends and Patterns*. pp. 12-13. Bangalore: Centre for Budget and Policy Studies and United Nations Children Fund, India.

an enabling environment with wider social infrastructure and services is also needed. As outlined by Jha *et al.*(2019), in order to ensure efficiency of expenditure, it is important to assess how best to allocate public funds to complementary services and infrastructure, such as roads, water and sanitation, electricity, etc.¹⁴ From the Child Budget Document, one should be able to clearly understand how much is being spent directly on children and, therefore, child-relevant spending may not be a part of the child budget.

¹⁴ Ibid. p. 50.

Domains

Taking into account the different types of needs of children in the country, all programmes/schemes included in the child budget are categorised into four sectors, viz.:

1. **Child Survival, Health and Nutrition:** this mostly includes schemes for early childhood care and nutrition, and child and adolescent health;
2. **Child Education and Development:** this includes schemes at the level of elementary and secondary education, which helps in the overall development of children;
3. **Child Protection:** this includes schemes for children in difficult circumstances, such as, child labour, children with disabilities, children affected by calamities, children affected by conflicts, child prostitutes, children of prostitutes, street children, children exposed to the risk of trafficking, juvenile delinquents, etc.; and
4. **Child Participation:** this includes schemes at the elementary and secondary levels on sports or extra-curricular activities, along with platforms for children to express their views and participate in decision-making processes.

However, this categorization is subjective to some extent, as certain child-specific schemes address multiple needs of children and, therefore, may be considered under more than one of the categories mentioned above. For instance, a scheme like the Mid-Day Meal Scheme may be considered under child education or as a part of early childhood development. But in order to avoid double-counting of child-specific public expenditure, every such scheme that addresses multiple needs of children should be considered on the basis of the main implementing department and included under one of the four categories only.

Procedural Steps

According to the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the *National Policy for Children, 2013*, survival, development, protection and participation are the four basic rights of children. Presently, the schemes and programmes directly related to the right of participation do not yet form a part of Government of India's budgetary exercise (or that of the Government of Bihar). There are several social sector schemes and programmes that can be categorised within the broad domain of the rights to survival, development and protection. In order to develop a sync between schemes and rights of children, the schemes may have to be arranged under four categories, viz. Child Survival, Health and Nutrition; Child Education and Development; Child Participation; and Child Protection. For example, schemes such as School Sports, *Mukhyamantri Khel Vikas Yojana* (Department of Art, Culture and Youth) should be included in Child Participation. Similarly, all scholarship schemes, including the Mid-Day Meal Scheme, should be in Child Education and Development. For Child Survival, Health and Nutrition, the major flagship scheme is the National Health Mission (NHM), implemented by the Department of Health, which includes several programmes for newborns, children and adolescents. In addition, there are schemes such as Mission Indradhanush and others which should be included under Child Survival, Health and Nutrition. The programmes like Integrated Child Protection Schemes and *Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana* (Department of Social Welfare) and National Child Labour Protection Scheme (Department of Labour Resources) should come under Child Protection.

Thus, to develop Child Budget Document as a policy-friendly document, the Child Welfare Budget can be clubbed according to the above-mentioned four categories, instead of Department-wise distribution.

Data: Sources and Processes

Sources of data will be:

- Child Budget of Bihar

- Department-wise Detailed Demand for Grants
- Demand for Grants of Central Government
- Finance Accounts
- Study of State Budgets, Reserve Bank of India

Format of the Child Budget Document

The current Child Budget Document begins with a brief description of the status of children followed by a summary sheet of Departmental allocation for children. The summary sheet includes actual expenditure of the last year, budget estimate and revised estimate of the current year and budget estimate for the ensuing year. Therefore, the department-wise and scheme-wise detailed information is generated. The document also includes bill code or head of accounts, category and brief description on target and achievement of the scheme.

The Budget Estimate of each scheme has two parts of receipts: revenue receipt and capital receipt.¹⁵ Similarly, Actual Expenditure also has two parts: revenue expenditure and capital expenditure.¹⁶

The Child Budget Document (2019-20) gives details of child-specific programmes of eight Line Departments. Under this, all the schemes are segregated into (a) State Schemes (b) Centrally-Sponsored Schemes (c) Central Sector Schemes, and (d) Established and Committed Expenditure.

¹⁵ The Revenue Receipts section is further divided into four sectors, viz., 'Own Tax Revenue,' 'Central Tax,' 'Non Tax Revenue' and 'Grants-in-aid and Contributions.' The Capital Receipts section does not contain any sectors or sub-sectors.

¹⁶ The Revenue Expenditure section is divided into four sectors, viz., 'General Services,' 'Social Services,' 'Economic Services' and 'Grants in-aid and Contributions.' These sectors in the Revenue Expenditure section are further divided into sub-sectors like, 'Organs of State,' 'Education, Sports, Art and Culture,' etc. The Capital Expenditure section is subdivided into sub-sectors, viz., 'General Services,' 'Social Services,' 'Economic Services,' 'Public Debt' and 'Loans and Advances.'




Figure 1: Representation of Budget for Children

Accounting Classification

Government heads of accounts are presented under a six-tier classification, viz., Major Heads (four digits), Sub-Major Heads (two digits), Minor Heads (three digits), Sub-Heads (four digits), Detailed Heads (two digits), and Object Heads (two digits). Major Heads represent major functions of Government, Sub-Major Heads represent sub-functions, Minor Heads represent programmes/activities, while Sub-Heads represent schemes, Detailed Heads represent sub-schemes, and Object Heads represent

purpose/object of expenditure. To track proper budget allocation vis-à-vis expenditure, the detailed heads and object heads must also be included in the Child Budget Document. This is critical to ensure that there are no missing links.

A diagrammatic representation of the programme Kilkari (2202010010107) is given below:




Figure 2: Classification of a Budget Head

Major Head (4 Digits)	: 2202 – General Education
Sub Head (2 Digits)	: 01- Elementary Education
Minor Head (3 Digits)	: 001-Direction and Administration
Sub Head/Scheme Head (4 Digits)	: 0107 - Grant to Bihar (Bal Bhawan) Kilkari
Detailed Head (2 Digits)	: 31- Grants-in-Aid
Object Head (2 Digits)	: 06- Non-Salary

Summing Up the Accounting Process

The main unit of classification in accounts is the Major Head, whose coding pattern is detailed in Table 1.

Table 1 : Coding Pattern for Accounts Classification

Category of Fund	Code	Accounts Classification
Consolidated Fund	0005 to 1606	Revenue Receipts
	2011 to 3606	Revenue Expenditure
	4000	Capital Receipts
	4046 to 7810	Capital Expenditure (including Public Debt, Loans and Advances)
Contingency Fund	7999	Appropriation to the Contingency Fund
	8000	Contingency Fund
Public Accounts	8001 to 8999	Public Account

To understand the budgets in India, one must look at different levels in the budgeting process – Budget Estimates (BE), Revised Estimates (RE), Actual Expenditure (AE), Establishment and Committed Expenditure, Annual Schemes and Central Sector Schemes.

- (A) The *Budget Estimates* are prepared by estimating authorities in accordance with their assessment of financial requirements for the forthcoming year, keeping in view the actual allocations and expenditures of the past years, the overall trend of expenditure in the current year, and the arrears of previous years.
- (B) *Revised Estimates* are prepared during the current financial year, before the Budget Estimates of the forthcoming year. The preparation of RE for the year 2018-19, for example (on the basis of expenditure trends in the first six to seven months of the year), precedes the preparation of BE for the year 2019-20. To extend the example, RE for the year 2018-19 would be based on the latest figures available of actual expenditure incurred during 2018-19, actual expenditure incurred during 2017-18 as well as during the past few years. RE in this case would also be based on

appropriations or re-appropriations already ordered or expenditure which are anticipated during the remaining part of the year, and any sanction to expenditure already issued, or proposed to be issued, during the remaining part of the year.

- (C) *Actual Expenditure* figures are available after the final accounts have been submitted by the AG (Accountant General's Office) to the state government. AE for the year 2018-19, for example, will be available to the public only in the 2020-21 budget documents.
- (D) *Establishment and Committed Expenditure* generally includes non-plan expenditures like the expenditure on interest payments, salaries and wages, pensions, subsidies and principal repayments.
- (E) *Annual Scheme* covers State Own Scheme, central share of Centrally-Sponsored Schemes and state share of Centrally-Sponsored Schemes.
- (F) *Central Sector Schemes* are schemes that are fully-funded by the Central Government.

The steps to be followed are:

1. The schemes must be compiled according to four basic rights of the child: (a) Survival, Health and Nutrition; (b) Education and Development; (c) Protection; and (d) Participation.
2. All schemes and committed expenditures related to the child must be included in the Child Budget Document.
3. The heads should be segregated properly according to the codes, like 01 for State Scheme, 02 for Central share in CSS and 03 for State share in CSS.
4. The data should be collected as per the new format attached in Appendix.
5. In addition, the details in the Child Budget Document must be presented as per the new format attached in Appendix.

Data Quality Assurance

The data would be vetted from sources such as the Demand for Grants and Department-wise information.

Responsibilities of the Stakeholders

Certain duties and responsibilities have been assigned to specific

personnel. These are as follows:

1. **Budget Officer (Officials from Department of Finance, GoB):** These are the persons responsible for compiling the information on budget that is sent by different departments. It is their responsibility to see that the information is collected according to the new format and includes all details as per the requirement of the Child Budget Document.
2. **Nodal Person (between Finance Department and other Line Departments):** His or her responsibility will be to coordinate between Line Departments and the Finance Department, and to check the format which is sent from the departments to be compiled for child budget.
3. **Line Departments:** Currently, the Child Budget Document gives information of only eight Line Departments who use their funds for child welfare (Table 2):

Table 2: List of Line Departments already in the Child Budget Document

Serial Number	Demand Number	Department
1	08	Art, Culture and Youth
2	11	BC and MBC Welfare
3	21	Education
4	51	Social Welfare
5	26	Labour Resources
6	44	SC and ST Welfare
7	20	Health
8	30	Minority Welfare

However, on the basis of the current study, *Child Budgets in Bihar: Present Process and Required Improvements* (ADRI 2019), it has been identified that there are eight more Departments that are directly investing in child welfare and should be included in the child budgeting process. These Departments are listed in Table 3.

**Table 3: List of Additional Line Departments to be included
in the Child Budget Document**

Serial Number	Demand Number	Department
1	42	Rural Development
2	36	Public Health Engineering
3	39	Disaster Management
4	16	Panchayati Raj
5	35	Planning and Development
6	19	Environment, Forest and Climate Change
7	22	Home
8	12	Finance

Appendix

Table 1: Child Budget (Total)

Department	Budget Code	2018-19 (Actuals)	2019-20 BE	2019-20 RE	2020-21 BE
Education					
Social Welfare					
Health					
Rural Development					
Public Health Engineering					
Minority Welfare					
BC / MBC Welfare					
SC / ST Welfare					
Art, Culture and Youth					
Labour Resources					
Environment, Forest and Climate Change					
Disaster Management					
Panchayati Raj					
Planning and Development					
Home					
Finance					

Table 2: Child Budget (State Scheme)

Department	Child Budget (State Scheme)				
	Budget Code	2018-19 (Actuals)	2019-20 BE	2019-20 RE	2020-21 BE
Education					
Social Welfare					
Health					
Rural Development					
Public Health Engineering					
Minority Welfare					
BC / MBC Welfare					
SC / ST Welfare					
Art, Culture and Youth					
Labour Resources					
Environment, Forest and Climate Change					
Disaster Management					
Panchayati Raj					
Planning and Development					
Home					
Finance					

Table 3: Child Budget (Centrally-Sponsored Scheme/Central Sector Scheme)

Department	Child Budget (Centrally-Sponsored Scheme/Central Sector Scheme)				
	Budget Code	2018-19 (Actuals)	2019-20 BE	2019-20 RE	2020-21 BE
Education					
Social Welfare					
Health					
Rural Development					
Public Health Engineering					
Minority Welfare					
BC / MBC Welfare					
SC / ST Welfare					
Art, Culture and Youth					
Labour Resources					
Environment, Forest and Climate Change					
Disaster Management					
Panchayati Raj					
Planning and Development					
Home					
Finance					

Table 4: Child Budget (Establishment and Committed Expenditure)

Department	Child Budget (Establishment and Committed Expenditure)				
	Budget Code	2018-19 (Actuals)	2019-20 BE	2019-20 RE	2020-21 BE
Education					
Social Welfare					
Health					
Rural Development					
Public Health Engineering					
Minority Welfare					
BC / MBC Welfare					
SC / ST Welfare					
Art, Culture and Youth					
Labour Resources					
Environment, Forest and Climate Change					
Disaster Management					
Panchayati Raj					
Planning and Development					
Home					
Finance					

References

Government of Bihar (2016), 'Bihar Budget Manual – 2016,' Department of Finance, Patna, Bihar, September 2016.

Government of Bihar (2016-17), 'Finance Accounts - Volume 1,' Comptroller and Auditor General of India, March 2018, New Delhi.

Government of India (2010), 'Budget Manual,' Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, September 2010, New Delhi.


Government of India (2019-20), 'Budget Circular,' Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, September 2018, New Delhi.

Jha, J., Madhusudhan Rao, B.V., Siddarth, S., Sowmya, J., Lekshmi, P. T., Susmitha, M. V., Deepa, K. S., and Abraham, S. M. (2019), *Public Expenditure on Children in India: Trends and Patterns*. Bangalore: Centre for Budget and Policy Studies and United Nations Children Fund, India.

Save the Children (2016), *Child Budget for 2016-17: Stepping into the era of SDGs for Every Last Child*. Retrieved from <<https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-budget-2016-17-stepping-era-sdgs-every-last-child>>.

United Nations Committee on the Rights of the Child (2016), *General Comment no. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children's rights (art. 4)*.


The U.S. Environmental Protection (2007), 'Agency Guidance for the Preparation of Standard Operating Procedures,' EPA QA/G-6, EPA/600/B-07/001, U.S. EPA, April 2007, Washington, DC 20460.



स्वास्थ्य




पोषण




शिक्षा




संरक्षण



भागीदारी



विकास



अधिकार

बिहार में बाल बजट निर्माण के लिए मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया


वित्त विभाग
बिहार सरकार

तकनीकी सहयोग
यूनिसेफ फिल्ड ऑफिस बिहार
एवं
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री)

नवम्बर 2019



श्री सुशील कुमार मोदी
उप-मुख्य मंत्री और
वित्त मंत्री



संदेश

एक ऐसे राज्य में, जहां की लगभग आधी आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है, यह आवश्यक हो जाता है कि इस उम्र समूह के लोगों का बहुमुखी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक धनराशि का कुशलतापूर्वक आवंटन और निवेश किया जाए। राज्य के बच्चों और किशोर-किशोरियों के लिए बिहार सरकार के निवेश का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वस्थ, शिक्षित, सक्रिय और उत्पादक नागरिक बनने के लिए प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता और कौशल के सर्वाधिक विकास का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

इस लिहाज से बिहार सरकार अत्यंत आशा के साथ बिहार में बाल बजट की मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया का लोकार्पण कर रही है। हमारे बच्चों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने और विभिन्न विभागों में प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में यह पहला कदम है। मैं इस दिशा में बढ़-चढ़कर भूमिका निभाने के लिए वित्त विभाग के अपने साथियों के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, इस महत्वपूर्ण पक्ष के मामले में अपनी संलग्नता और गहरी प्रतिबद्धता के लिए मैं यूनीसेफ बिहार और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) को भी धन्यवाद देता हूँ।

(श्री सुशील कुमार मोदी)
उप-मुख्य मंत्री और
वित्त मंत्री



डॉ. एस. सिद्धार्थ
प्रधान सचिव
वित्त विभाग



संदेश

भारत के सिर्फ़ तीन राज्य अपने पूर्ण राज्य बजट के हिस्से के रूप में अलग से बाल बजट का विवरण जारी करते हैं। इनमें से एक राज्य बिहार भी है। राज्य के बच्चों और किशोर-किशोरियों के सुदृढ़ीकरण तथा उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की दिशा में 'बिहार में बाल बजट निर्माण हेतु मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया' का लोकार्पण करते हुए बिहार सरकार के वित्त विभाग को गर्व हो रहा है। इस मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया के साथ हम बच्चों के लिए लक्षित संसाधनों का मानचित्रण और उपयोग करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अधिक कुशल, प्रभावी और जवाबदेह योजना एवं बजट निर्माण प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आशान्वित हैं। खास कर, मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया राज्य में बच्चों पर केंद्रित और बच्चों से संबंधित व्यय पर प्राथमिकता देकर अन्य सरकारी विभागों को अपने दायरे में लाएगी। विभाग इन नए सहयोगी विभागों के साथ अधिक सहभागिता से काम करने के लिए आशान्वित है क्योंकि वार्षिक बाल बजट विवरण का विकास हम मिल-जुलकर करते हैं।

मैं उन बच्चों को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आयोजित रूपांकन एवं परामर्श कार्यशाला में भाग लिया।

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग



श्री असदुर रहमान

प्रमुख

यूनीसेफ



संदेश

बाल बजट की मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया जारी करने के लिए यूनिसेफ बिहार सरकार को धन्यवाद देती है। बाल बजट बच्चों के विकास के लिए सार्वजनिक निवेश की योजना बनाने और उसका अनुश्रवण करने के लिए अत्यंत उपयोगी साधन है। बिहार बाल बजट का विवरण प्रस्तुत करने वाले देश के सिर्फ तीन राज्यों में से एक है और मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया से बाल बजट में सुदृढ़ता आएगी। मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया में अवयव की पहचान के लिए मार्गदर्शन शामिल होता है। यह योगदान करने वाले विभागों के क्षितिज का विस्तार करती है, प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाती है और विभिन्न हितधारकों की भूमिका स्पष्ट करती है।

यूनीसेफ को मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया के विकास, उसे लागू करने के दौरान क्षमता निर्माण के प्रयास, तथा प्रयास के अनुश्रवण और प्रलेखन के लिए काम करने के लिए एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) और बिहार सरकार के साथ संयुक्त साझेदारी का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। इस पहल का हम स्वागत करते हैं और बिहार के बच्चों के जीवन में सुधार लाने के सभी प्रयासों को सहयोग देने की अपनी वचनबद्धता को दुहराते हैं।

(श्री असदुर रहमान)

प्रमुख
यूनीसेफ



डॉ. प्रभात पी घोष

निदेशक

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री)



संदेश

हाल के वर्षों में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) ने राज्य सरकार द्वारा किए गए अनेक हस्तक्षेपों के वित्तीय आधार पर अनेक व्यापक शोध-कार्य किए हैं। ये अध्ययन राज्य सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के सूचक हैं और इसीलिए बच्चों को होने वाले लाभों और लिंग आधारित लाभों के मूल्यांकन के लिए खासतौर पर उपयोगी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, खुद बजट निर्माण की प्रक्रिया में ही आवंटन प्रक्रिया के विकास मूलक निहितार्थों के प्रति आम तौर पर सतर्क नहीं रहा जाता है। हालांकि 'बाल बजट निर्माण' के काम के जरिए राज्य सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि राज्य के समग्र आवंटन पैटर्न में बच्चों के विकास पर उचित रूप से ध्यान दिया जाए।

इसी पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार और यूनीसेफ के वरिष्ठ विशेषज्ञों से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर आद्री ने बाल बजट निर्माण के लिए मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया तैयार की है। हमें आशा है कि इस दस्तावेज के प्रकाशन से हम बिहार के बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता दे पाएंगे और उनके समग्र विकास, संरक्षण और सहभागिता को सुनिश्चित कर पाएंगे।

(डॉ. प्रभात पी घोष)

निदेशक

एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री)

विषय सूची

- 3 कार्यकारी सारांश
- 4 परिचय
- 7 उद्देश्य
- 8 परिभाषाएं
- 10 क्षेत्र
- 11 कार्यप्रणाली
- 19 परिशिष्ट
- 23 ग्रन्थसूची

चित्र सूची

- 13 चित्र 1 : बाल बजट का प्रतिनिधित्व
- 14 चित्र 2 : बजट शीर्ष का वर्गीकरण

तालिका सूची

- 15 तालिका 1 : लेखों के वर्गीकरण के लिए कोडिंग पैटर्न
- 17 तालिका 2 : बाल बजट दस्तावेज में पहले से शामिल संबंधित विभागों की सूची
- 18 तालिका 3 : बाल बजट दस्तावेज में शामिल किए जाने लायक संबंधित विभागों की सूची

कार्यकारी सारांश

सम्पूर्ण विश्व आज संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यू०एन०सी०आर०सी०) की सम्पुष्टि के 30 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मना रहा है - ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उत्सव जो 0 से 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए बिना भेदभाव, उत्तरजीविता, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। भारत ने भी इस समझौते को अंगीकृत किया है और अपने देश के बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए नीतियों और विधि व्यवस्था को बहाल किया है, जिनमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, भोजन का अधिकार, बाल श्रम से संरक्षण का अधिकार, यौन हिंसा से संरक्षण का अधिकार, राष्ट्रीय बाल नीति, और राष्ट्रीय बाल कार्ययोजना इत्यादि सम्मिलित हैं। बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष 0-18 वर्ष के बच्चों का अनुपात 48 प्रतिशत है। वर्ष 2019 में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल कार्ययोजना (बी०एस०पी०ए०सी०) 2019-24 का शुभारंभ किया है, जिसमें उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के दृष्टिगत रखते हुए मुख्य अनिवार्यताओं को चिन्हित करते हुए रणनीतियां उपलब्ध कराई गई हैं और बिहार में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

बच्चों की आवश्यकताओं और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए वांछित है कि बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया जाए और उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं के अन्तर्गत प्रावधानित आवंटन एवं व्यय पर नजर रखी जाए। बच्चों का विशिष्ट रूप से विवरण करने वाला बजट बच्चों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु अत्यधिक सफल हो सकता है। बाल बजट राज्य के बजट से पृथक नहीं होता है वरन् यह बच्चों के प्रति वैधानिक, विधिक एवं अन्य नीतिगत वचनबद्धताओं के आलोक में राज्य के उन बजट आवंटन एवं व्यय का विश्लेषण दर्शाता है जिनका बच्चों के जीवन की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता के अवसरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

बिहार, बाल बजट अभिलेख प्रकाशित करने वाले भारत देश के तीन राज्यों में से एक है। बिहार में यह प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2013-14 एवं 2017-18 के बीच बिहार सरकार ने बाल कल्याण योजनाओं हेतु कुल रु० 80,827.85 करोड़ का आवंटन किया एवं इसी अवधि में रु० 67,101.02 करोड़ का व्यय भी किया गया। इस अवधि में बिहार राज्य के बच्चों के लिए कुल आवंटन 18.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि खर्च 26.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बिहार में बाल बजट निर्माण के लिए मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) राज्य में बच्चों पर केंद्रित संस्थागत सार्वजनिक वित्तीय तंत्र के सुदृढीकरण और विस्तार का एक प्रयास है। इस मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि बाल बजट निर्माण की प्रक्रियाओं में किस प्रकार के व्यय को सम्मिलित किया जाए, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं।

परिचय

बिहार राज्य के 38 जिलों का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 10.41 करोड़ है जो देश की कुल 121.06 करोड़ जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है। वर्ष 2018 में बिहार की जनसंख्या लगभग 12.20 करोड़ अनुमानित थी। बिहार राज्य को नौ प्रमंडलों में बांटा गया है- पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है, जो पूरे देश के जनसंख्या घनत्व (382) का लगभग तीन गुना है। बिहार में शहरीकरण दर मात्र 11.3 प्रतिशत है जो देश में सबसे कम है। इसके विपरीत देश में शहरीकरण की दर 31.2 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में बिहार में सबसे अधिक 14.6 प्रतिशत वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में दर्ज हुई थी जबकि प्राथमिक क्षेत्र के लिए यह 1.4 प्रतिशत और द्वितीयक क्षेत्र के लिए 2.5 प्रतिशत थी। वहीं, कुल मिलाकर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में 11.3 प्रतिशत और 2016-17 में 9.9 प्रतिशत दर्ज की गई। इन दोनो वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत थी।¹

समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होने के साथ-साथ राज्य सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय को भी प्राथमिकता दी है। वर्ष 2011-12 से 2017-18 के मध्य बिहार का प्रति व्यक्ति विकासमूलक व्यय (पी०सी०डी०ई०) 15.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ा है। राज्य में शिक्षा पर व्यय 14.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कराते हुए 2011-12 में रु० 10,214 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में रु० 26,394 करोड़ तक पहुंच गया जो वर्तमान में संपूर्ण भारत के स्तर पर दर्ज 12.5 प्रतिशत वृद्धि दर से 1.9 प्रतिशत अधिक है। उपरोक्तानुसार विगत सात वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य संबंधी व्यय भी 22 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ा है।² परिणाममूलक दृष्टिकोण और नीतिगत सुधारों के बावजूद, राज्य को अभी भी मानव विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में गरीबी अनुपात 33.7 प्रतिशत है जो संपूर्ण भारत (21.9 प्रतिशत) की अपेक्षा लगभग 12 प्रतिशत अंक अधिक है।³ बिहार 61.8 प्रतिशत साक्षरता दर वाला देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। राज्य में लिंग अनुपात भी 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है जो राष्ट्रीय औसत (940) से भी कम है।⁴ वहीं, एक अच्छी बात है कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एल०ई०बी०) पूरे देश के समकक्ष (68.7 वर्ष) है, जबकि 2017 में राज्य में शिशु मृत्यु दर (आइ०एम०आर०) 33 प्रति 1000 जीवित प्रसव थी जो राष्ट्रीय औसत (35 प्रति 1000 जीवित प्रसव) से

¹ बिहार सरकार, वित्त विभाग (2018-19), बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, पटना : बिहार सरकार.

² पूर्वोक्त.

³ भारत सरकार (2009), रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप टू रीव्यू द मेशडोलॉजी फॉर एस्टीमेशन ऑफ पोवर्टी. नई दिल्ली : योजना आयोग.

⁴ भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना. नई दिल्ली, भारत के महानिबंधक.

कुछ कम है। मातृ मृत्यु दर (एम०एम०आर०) के मामले में भी बिहार का प्रदर्शन अनेक अन्य राज्यों से बेहतर है। इसे 2011-13 के 208 प्रति लाख जीवित प्रसव से घटाकर 2014-16 में 165 प्रति लाख जीवित प्रसव पर लाया गया है। यह संपूर्ण भारत की दर के अत्यन्त निकट है जो 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित प्रसव थी।⁵ इन कारकों के कारण बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.447 था, जो संपूर्ण भारत के सूचकांक (0.504) से कम है।⁶

हर देश में बच्चों की जनसंख्या में 0-18 वर्ष वाला उम्र समूह सम्मिलित होता ही है। यह जनसंख्या का एक असुरक्षित हिस्सा होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 39 प्रतिशत जनसंख्या 0-18 वर्ष उम्र समूह के अन्तर्गत आती है, जबकि बिहार में 48 प्रतिशत जनसंख्या इस उम्र समूह में वर्णित है। बिहार राज्य में 4.98 करोड़ बच्चे हैं जो देश की बच्चों की कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत हैं। इसमें से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 0.50 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। लिंग आधार पर इनमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं एवं 2.62 करोड़ लड़के हैं। इसी प्रकार राज्य की बच्चों की कुल जनसंख्या में 0-6 वर्ष, 7-14 वर्ष एवं 15-18 वर्ष उम्र समूहों का अनुपात क्रमशः 38.4 प्रतिशत, 45.4 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत है। बच्चों की कुल जनगणना 4.98 करोड़ में से 81.2 प्रतिशत हिंदू, 18.3 प्रतिशत मुसलमान, 0.1 प्रतिशत ईसाई एवं 0.4 प्रतिशत सिख, बौद्ध और जैन सहित अन्य धर्मों के हैं। बच्चों की सम्पूर्ण जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जाति 16.9 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.3 प्रतिशत एवं संयुक्त रूप से 18.2 प्रतिशत भाग हैं।

चूंकि बच्चे राज्य का भविष्य हैं इसलिए उनकी उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा, और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए वह सर्वोत्तम सार्वजनिक निवेश के पात्र हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यू०एन०सी०आर०सी०) और भारत की राष्ट्रीय बाल नीति, 2013, दोनों में ही अनुकूल पारदर्शी बाल बजट निर्माण अभ्यास के महत्व को रेखांकित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की सामान्य टिप्पणी (सं. 2016 की 19) में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते की बहाली करने वाले सभी देशों के लिए दायित्वों को बताया गया है कि बच्चों के लिए सार्वजनिक बजट निर्माण का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए।⁷ भारत के केंद्रीय बजट में पृथक बाल बजट विवरण (“बाल कल्याण हेतु बजट आवंटन” विवरण 12) सम्मिलित होता है और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि “बाल बजट निर्माण के माध्यम से संबद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा बच्चों के लिए बजट और व्यय के संदर्भ में संसाधनों के आवंटन और उपयोग तथा बच्चों पर उनसे संबंधित परिणामों के प्रभावों पर भी नजर रखी जाएगी”।⁸ बाल बजट राज्य बजट से पृथक बजट नहीं होता है। यह बच्चों के लिए वैधानिक, विधिक और अन्य नीतिगत प्रतिबद्धताओं के आलोक में राज्य बजट के उन आवंटन का विश्लेषण होता है जिनका बच्चों के जीवन की गुणवत्ता एवं उनको उपलब्ध अवसरों के प्रत्यक्ष प्रभावों को बताता है। बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के

⁵ भारत सरकार, प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, भारत के महानिबंधक, नई दिल्ली।

⁶ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2011), इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इंडिया 'ज स्टेट्स, नई दिल्ली।

⁷ संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (2016), जेनरल कमेंट नंबर 19 (2016) ऑन पब्लिक बजटिंग फॉर चिल्ड्रेन्स' राइट्स (आर्टिकल 4)।

⁸ भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2013), राष्ट्रीय बाल नीति।

लिए उत्तरदायित्व का साधन बनकर यह मापनीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल अधिकारों को साकार करने में सहायता करता है।⁹ यह बच्चों के लिए संसाधन संबंधी सक्षमकारी वातावरण को – जिसे प्रायः अनदेखा किया जाता है– प्राथमिकता देने के मामले में नीति निर्माताओं की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इस प्रक्रिया में बाल योजनाओं के आधार पर राज्य के बजटों की पुनर्गणना की जाती है।

बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में शुरू हुई। वर्तमान में असम, केरल और बिहार – तीन ही ऐसे राज्य हैं जो अलग से बाल बजट अभिलेख तैयार करते हैं। 0-18 वर्ष के बच्चों के लिए बिहार सरकार ने 2013-14 से 2017-18 तक राज्य बजट में कुल रु० 80,827.85 करोड़ आवंटित किए गए थे और उस अवधि में रु० 67,101.02 करोड़ व्यय किए गए थे। बजट अनुमान से वास्तविक व्यय की तुलना करने पर दिखता है कि इसमें रु० 13,726.83 करोड़ का राजकोषीय अंतराल है जो कुल बजट राशि का लगभग 17 प्रतिशत है। बिहार में पिछले पांच वर्षों में बाल बजट संबंधी आवंटनों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य बच्चों के लिए कुल आवंटन 18.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसी प्रकार व्यय भी 26.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो आवंटन के सापेक्ष अधिक ऊंची दर से बढ़ा है जो निःसंदेह ही एक प्रशंसनीय कदम है।¹⁰ वर्ष 2019-20 में बच्चों के लिए आवंटन रु० 20,889.74 करोड़ है।¹¹

⁹ सेव द चिल्ड्रेन (2016), चाइल्ड बजट फॉर 2016-17 : स्ट्रेपिंग इनटू द एरा ऑफ एसडीजीज फॉर एवरी लास्ट चाइल्ड.

¹⁰ बिहार सरकार, वित्त विभाग (2018-19), बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19.

¹¹ बिहार सरकार, वित्त विभाग (विभिन्न वर्ष), बाल कल्याण बजट.

उद्देश्य

बिहार में बच्चों के लिए अनुकूल लोक वित्त के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिकोण से बाल बजट निर्माण की इस मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) में संबंधित विभागों के बजट अधिकारियों, बच्चों से संबंधित अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित सामाजिक समितियों के हितधारकों सहित अन्य हितधारकों के लिए बाल बजट निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए हैं। मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती है और यह बताती है कि योजना निर्माण एवं प्रतिक्रिया को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उनके हितधारकों की भूमिका को कैसे निर्धारित किया जाए एवं बाल बजट की पहचान कैसे की जाए। मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया सभी संबंधित विभागों के लिए सर्वव्यापी दिशा-निर्देश विकसित करने का एक आधार है ताकि राज्य में बच्चों के लिए किए जाने वाले कुल व्यय की प्रतिनिधि मूलक ढंग से तुलना, नियोजन एवं निगरानी की जा सके। मानक कार्यसंचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) की नीतियां और प्रक्रियाएं, राज्य के बाल बजट की योजना निर्माण, समन्वय, एवं प्रतिवेदन निर्मित करने वाले समस्त कर्मियों पर लागू होती हैं।

परिभाषाएं

1. **बच्चा:** संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यू०एन०सी०आर०सी०) के अनुसार बच्चे का अर्थ, 18 वर्ष तक की उम्र का प्रत्येक मानव प्राणी है। 0 से 18 वर्ष की उम्र समूह में आने वाले सारे बच्चों को बाल बजट में शामिल किया जाएगा। इनमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों में रहने वाले बच्चे, अनाथ अथवा संरक्षण गृहों के बच्चे (जिन्हें देखरेख की आवश्यकता होती है), किशोर-किशोरियां (विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले बच्चे) और निःशक्त बच्चे शामिल हैं।
2. **बाल बजट :** बजट में से बाल-केंद्रित योजनाओं पर परिव्यय/ व्यय के कुल परिमाण को 'बाल बजट' का परिमाण कहा जाता है। अतः, 'बाल बजट' कोई अलग बजट न होकर सामान्य सरकारी बजट का ही एक भाग होता है।
3. **बाल अधिकार :** इनमें सभी बच्चों के लिए सुनिश्चित ये चार अधिकार शामिल हैं - (क) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण (ख) शिक्षा और विकास, (ग) संरक्षण, तथा (घ) भागीदारी। राष्ट्रीय बाल नीति, 2013, और बिहार राज्य बाल कार्ययोजना 2019-24,¹² केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बच्चों के उक्त सभी अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।
4. **बाल-केंद्रित आवंटन/ व्यय :** जैसा कि झा एवं अन्य (2019)¹³ द्वारा भी परिभाषित किया गया है कि बाल-केंद्रित व्यय में वैसे सारे कार्यक्रम और हस्तक्षेप सम्मिलित हैं जो शत-प्रतिशत बच्चों से संबंधित हों और पूरी तरह से 0-18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों को लक्षित करते हों। इसमें शैशवकालीन देखरेख, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं, बाल देखरेख एवं संरक्षण, किशोर न्याय, तथा विभिन्न असुरक्षित समुदायों के बच्चों के लिए संचालित सामाजिक कल्याण की योजनाओं की धनराशि सम्मिलित है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि मातृ स्वास्थ्य और लाभों की धनराशि को भी इसी श्रेणी में रखा गया है।
5. **बाल-प्रासंगिक आवंटन/ व्यय :** बच्चों पर किया जाने वाला सम्पूर्ण सार्वजनिक निवेश उनके कल्याण को सुनिश्चित करना ही संतोषजनक नहीं है वरन् व्यापक सामाजिक अधिसंरचना और सेवाओं से युक्त सक्षमकारी वातावरण की उपलब्धता भी आवश्यक है। जैसा कि झा एवं अन्य (2019) द्वारा रेखांकित किया गया है कि "व्यय की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए इस बात का

¹² बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग (2019), बिहार राज्य बाल कार्ययोजना, पटना : बिहार सरकार.

¹³ झा ,जे., मधुसूदन राव, बी.वी., सिद्धार्थ, एस., सौम्या, जे., लक्ष्मी, पी.टी., सुस्मिता, एम.वी., दीपा, के.एस., और अब्राहम, एस.एम. (2019). पब्लिक एक्सपेंडीचर ऑन चिल्ड्रेन इन इंडिया : ट्रेंड्स एवं पैटर्न्स, पृष्ठ 12-13. बंगलोर : सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड, भारत.

आकलन आवश्यक है कि सड़क, जल एवं स्वच्छता, बिजली, आदि पूरक सेवाओं और अधिसंरचनाओं के लिए सार्वजनिक धनराशि का सर्वोत्तम आवंटन कैसे किया जाए”¹⁴ बाल बजट अभिलेख से यह स्पष्ट रूप में दर्शित हो जाना चाहिए कि बच्चों पर कितना प्रत्यक्ष व्यय किया जा रहा है एवं इसी कारणवश बच्चों के लिए प्रासंगिक व्यय बाल बजट का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं।

¹⁴ पूर्वोक्त.

क्षेत्र

देश में बच्चों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाल बजट में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है :

1. **बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण** : इसमें अधिकांशतः शैशवकालीन देखरेख एवं पोषण, और किशोरावस्था सहित बच्चों के स्वास्थ्य की योजनाएं शामिल हैं;
2. **बाल शिक्षा एवं विकास** : इसमें प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षण संबंधी योजनाएं सम्मिलित हैं जिनसे बच्चों के समग्र विकास में सहायता मिलती है;
3. **बाल संरक्षण** : इसमें विभिन्न परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए योजनाएं सम्मिलित हैं, जैसे बाल श्रमिक, निःशक्त बच्चे, आपदा प्रभावित बच्चे, विवाद प्रभावित बच्चे, बाल वेश्याएं, वेश्याओं के बच्चे, लावारिस बच्चे, मानव व्यापार के जोखिम से असुरक्षित बच्चे, किशोर अपराधी इत्यादि; और
4. **बाल भागीदारी** : इसमें प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर खेलकूद या पाठ्यचर्येतर गतिविधियों के साथ-साथ बच्चों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने एवं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के निर्मित मंच से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं।

हालांकि उपरोक्त वर्गीकरण किसी सीमा तक ही सीमित हैं क्योंकि कुछ विशिष्ट बाल-केंद्रित योजनाएं ही बच्चों की एकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं एवं इसी कारणवश उन्हें इन श्रेणियों में से कई में सम्मिलित माना जा सकता है। उदाहरणस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना जैसी किसी योजना को बाल शिक्षा के अंतर्गत भी माना जा सकता है एवं शैशवकालीन विकास का हिस्सा भी। किन्तु बाल-केंद्रित सार्वजनिक व्यय की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए बच्चों की कई आवश्यकताओं को पूरी करने वाली हर ऐसी योजना के मुख्य क्रियान्वयन विभाग के आधार पर विचार किया जाना चाहिए एवं उन्हें चार में से किसी एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कार्यप्रणाली

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार, उत्तरजीविका, विकास, संरक्षण और भागीदारी बच्चों के चार मूल अधिकार हैं। वर्तमान में, भागीदारी के अधिकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम भारत सरकार (और बिहार सरकार) के बजट अभ्यास का भाग नहीं हैं। सामाजिक क्षेत्र की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्गीकरण उत्तरजीविता, विकास और संरक्षण के अधिकार के व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है। योजनाओं और बाल अधिकारों के बीच सामंजस्य विकसित करने के लिए योजनाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करना होता है - बाल उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल शिक्षा एवं विकास, एवं बाल भागीदारी। उदाहरणस्वरूप, विद्यालय खेल एवं मुख्यमंत्री खेल विकास योजना (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग), को बाल भागीदारी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को बाल शिक्षा एवं विकास में होना चाहिए। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण के लिए मुख्य फ्लैगशिप योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जिसमें नवजातों, बच्चों और किशोर-किशोरियों के लिए अनेक योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन इंद्रधनुष और अन्य ऐसी योजनाएं भी हैं जिन्हें बाल उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। समेकित बाल संरक्षण योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (समाज कल्याण विभाग) तथा राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण योजना (श्रम संसाधन विभाग) जैसे कार्यक्रमों को बाल संरक्षण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए।

अतः नीति-अनुकूल अभिलेख के अन्तर्गत बाल बजट अभिलेख विकसित करने के लिए बाल कल्याण बजट का विभाग आधारित वितरण करने के अलावा उपरोक्त चार श्रेणियों के अनुरूप समूहित किया जा सकता है।

आधार-सामग्री (डेटा) : स्रोत और प्रक्रियाएं

आधार-सामग्रियों के निम्नलिखित स्रोत होंगे :

- बिहार का बाल बजट
- विभाग-वार विस्तृत अनुदानों की मांग
- केंद्र सरकार की अनुदानों की मांग
- वित्तीय लेखे
- राज्य बजटों का अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक

बाल बजट दस्तावेज का प्रारूप


वर्तमान बाल बजट बच्चों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त विवरण से शुरू होता है और उसके बाद बच्चों के लिए विभागीय आवंटन का सारांश-विवरण होता है। सारांश-विवरण में गत वर्ष का वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तथा आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान शामिल होता है। इस प्रकार विभाग-वार एवं योजना-वार विस्तृत जानकारी तैयार होती है। इस अभिलेख में बिल कोड या लेखा शीर्ष, श्रेणी और योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धि के संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होते हैं।

प्रत्येक योजना के बजट अनुमान में प्राप्तियों के दो भाग होते हैं : राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति।¹⁵ इसी प्रकार, वास्तविक व्यय के भी दो भाग होते हैं : राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय।¹⁶

बाल बजट अभिलेख (2019-20) में राज्य के आठ संबंधित विभागों के बाल-केंद्रित कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है। इसके अन्तर्गत सारी योजनाओं को (क) राज्य योजना, (ख) केंद्र प्रायोजित योजना, (ग) केंद्रीय क्षेत्र योजना, और (घ) स्थापना एवं प्रतिबद्ध (कमिटेड) व्यय में बांटा गया है।

¹⁵ राजस्व प्राप्ति खंड को भी चार खंडों में विभाजित किया जाता है : 'कर राजस्व', 'करतर राजस्व', 'सहायता अनुदान एवं अंशदान और 'केंद्रीय कर'। वहीं पूंजीगत प्राप्तियों में कोई अन्य क्षेत्र या उपक्षेत्र नहीं होता है।

¹⁶ राजस्व व्यय खंड को चार खंडों में बांटा जाता है :- 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' और 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। वहीं राजस्व व्यय खंड में इन क्षेत्रों को उप-क्षेत्रों में बांटा जाता है : 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय क्षेत्र को भी उप-क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम'।




चित्र 1 : बाल बजट का प्रतिनिधित्व

लेखाकरण संबंधी वर्गीकरण

सरकारी लेखा शीर्षों को छःस्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है - मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक), और उपविस्तृत शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के मुख्य कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उपमुख्य शीर्ष उप-कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/गतिविधियों का, उपशीर्ष योजनाओं का, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं का, और उपविस्तृत शीर्ष व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यय

के सापेक्ष समुचित बजट आवंटन पर नज़र रखने के लिए विस्तृत शीर्षों और उपविस्तृत शीर्षों को भी बाल बजट अभिलेख में शामिल किया जाना। किलकारी कार्यक्रम (2202010010107) की आरेखीय प्रस्तुति निम्नवत् दी गई है :



चित्र 2 : बजट शीर्ष का वर्गीकरण

मुख्य शीर्ष (4 अंक)	: 2202 - सामान्य शिक्षा
उपशीर्ष (2 अंक)	: 01 - प्रारंभिक शिक्षा
लघु शीर्ष (3 अंक)	: 001 - निदेश एवं प्रशासन
उपशीर्ष/ योजना शीर्ष (4 अंक)	: 0107 - बिहार बाल भवन (किलकारी) को अनुदान
विस्तृत शीर्ष (2 अंक)	: 31 - सहायता अनुदान
उपविस्तृत शीर्ष (2 अंक)	: 06 - गैर-वेतन

लेखाकरण प्रक्रिया का सारांश

लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है, जिसका कोडिंग पैटर्न तालिका-1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1 : लेखों के वर्गीकरण के लिए कोडिंग पैटर्न

निधि की श्रेणी	कोड	लेखों का वर्गीकरण
संचित निधि	0005 से 1606	राजस्व प्राप्ति
	2011 से 3606	राजस्व व्यय
	4000	पूंजीगत प्राप्ति
	4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
आकस्मिक निधि	7999	आकस्मिक निधि का विनियोग
	8000	आकस्मिक निधि
लोक लेखा	8001 से 8999	लोक लेखा

भारत में बजट को समझने के लिए विभिन्न स्तरों की बजट प्रक्रिया पर निगाह डाली जानी चाहिए – बजट अनुमान (बी०ई०), पुनरीक्षित अनुमान (आर०ई०), वास्तविक व्यय (ए०ई०), स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, वार्षिक योजनाएं तथा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम।

- (क) बजट अनुमान गत वर्षों के वास्तविक आवंटनों और व्यय को, वर्तमान वर्ष के व्यय की प्रवृत्तियों के सापेक्ष तथा गत वर्षों के बकाया भुगतान को ध्यान में रखते हुए अनुमान करने वाले अधिकारियों द्वारा आगामी वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के अपने आकलन के अनुरूप निर्मित किये जाते हैं।
- (ख) पुनरीक्षित अनुमान आगामी वर्ष के बजट अनुमान के पहले वर्तमान वित्त वर्ष में तैयार किए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, (वर्ष के पहले छः या सात महीनों के व्यय संबंधी रुझानों के आधार पर) वर्ष 2018-19 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के पहले तैयार किए गए होंगे। उदाहरणार्थ वर्ष 2018-19 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 2018-19 में किए गए वास्तविक व्यय के त्वरित उपलब्ध आंकड़ों, 2017-18 में किए गए वास्तविक व्यय के आंकड़ों पर और विगत कुछ वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होंगे। इस मामले में पुनरीक्षित अनुमान आदेश किए जा चुके विनियोग या पुनर्विनियोग अथवा वर्ष के शेष भाग के लिए अनुमानित व्यय और वर्ष के शेष भाग के लिए जारी की जा चुकी या जारी करने के लिए प्रस्तावित किन्हीं व्ययों की स्वीकृति पर आधारित होंगे।

- (ग) वास्तविक व्यय के आंकड़े महालेखाकार (महालेखाकार कार्यालय) द्वारा राज्य सरकार को अंतिम लेखे प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उपलब्ध होते हैं। जैसे, वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े सबको 2020-21 के बजट अभिलेख में ही उपलब्ध होंगे।
- (घ) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी पर व्यय और मूलधन भुगतान जैसे योजनेतर व्यय सम्मिलित होते हैं।
- (च) वार्षिक योजना में राज्य की अपनी योजना, केंद्र-प्रायोजित स्कीम का केंद्रांश और केंद्र-प्रायोजित स्कीम का राज्यांश शामिल होता है।
- (छ) केंद्रीय क्षेत्र स्कीम केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होती हैं।

उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार होते हैं :

1. योजनाओं को बच्चों के चार बुनियादी अधिकारों के अनुसार संकलित किया जाना चाहिए : (क) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण; (ख) शिक्षा एवं विकास; (ग) संरक्षण; और (घ) भागीदारी।
2. बच्चों से संबंधित समस्त योजनाओं और प्रतिबद्ध व्यय को बाल बजट अभिलेख में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. शीर्षों को कोड के अनुसार सही ढंग से अलग किया जाना चाहिए, जैसे राज्य योजना के लिए 01, केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश के लिए 02 और केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश के लिए 03 होना चाहिए।
4. आंकड़ों को परिशिष्ट में संलग्न नए प्रारूप के अनुसार एकत्रित किया जाना चाहिए।
5. साथ ही, बाल बजट दस्तावेज के विवरण परिशिष्ट में संलग्न नए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

आंकड़ों की गुणवत्ता की आश्वस्ति

अनुदानों की मांग और विभाग-वार सूचनाओं जैसे स्रोतों के जरिए आंकड़ों की विविक्षा (वेटिंग) की जाएगी।

हितधारकों के दायित्व

कुछ खास कार्य और दायित्व विशेष कर्मियों को सुपुर्द किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :

1. **बजट अधिकारी (बिहार सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी)** : ये लोग विभिन्न विभागों द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं का संकलन करने के लिए जवाबदेह होंगे। यह देखना उनका उत्तरदायित्व होगा कि सूचनाओं को नए प्रारूप के अनुसार संग्रहित किया जाए और उसमें बाल बजट अभिलेख की आवश्यकता के अनुरूप समस्त विवरण सम्मिलित हों।

2. नोडल व्यक्ति (वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के बीच) : उनका उत्तरदायित्व संबंधित विभागों और वित्त विभाग के बीच समन्वय की, और बाल बजट को संकलित करने के लिए विभागों द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं के प्रारूप की जांच करने की होगी।
3. संबंधित विभाग (लाइन डिपार्टमेंट) : अभी बाल बजट अभिलेख में बाल कल्याण के लिए अपनी निधि का उपयोग करने वाले सिर्फ आठ विभागों की सूचनाएं दी जाती हैं :

तालिका 2 : बाल बजट दस्तावेज में पहले से शामिल संबंधित विभागों की सूची

क्र.सं.	मांग संख्या	विभाग
1	08	कला, संस्कृति एवं युवा
2	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
3	21	शिक्षा
4	51	समाज कल्याण
5	26	श्रम संसाधन
6	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
7	20	स्वास्थ्य
8	30	अल्पसंख्यक कल्याण

तथापि वर्तमान अध्ययन -चाइल्ड बजट्स इन बिहार : प्रेजेंट प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स (बिहार में बाल बजट : वर्तमान प्रक्रिया और वांछित सुधार), (आद्री 2019) - के आधार पर चिन्हित किया गया है कि ऐसे आठ और विभाग हैं जो बाल कल्याण में प्रत्यक्ष निवेश कर रहे हैं और उन्हें बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यह विभाग निम्नलिखित हैं :

तालिका 3 : बाल बजट दस्तावेज में शामिल किए जाने लायक संबंधित विभागों की सूची

क्र.सं.	मांग संख्या	विभाग
1	42	ग्रामीण विकास
2	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
3	39	आपदा प्रबंधन
4	16	पंचायती राज
5	35	योजना एवं विकास
6	19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
7	22	गृह
8	12	वित्त

परिशिष्ट

तालिका 1 : बाल बजट (संपूर्ण)

विभाग	विपत्र कोड	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2020-21 (बजट अनुमान)
शिक्षा					
समाज कल्याण					
स्वास्थ्य					
ग्रामीण विकास					
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण					
अल्पसंख्यक कल्याण					
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण					
अ०जा० एवं अ०ज०जा० कल्याण					
कला, संस्कृति एवं युवा					
श्रम संसाधन					
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन					
आपदा प्रबंधन					
पंचायती राज					
योजना एवं विकास					
गृह					
वित्त					

तालिका 2 : बाल बजट (राज्य योजनाएं)

विभाग	बाल बजट (राज्य योजनाएं)				
	विपत्र कोड	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2020-21 (बजट अनुमान)
शिक्षा					
समाज कल्याण					
स्वास्थ्य					
ग्रामीण विकास					
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण					
अल्पसंख्यक कल्याण					
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण					
अ०जा० एवं अ०ज०जा० कल्याण					
कला, संस्कृति एवं युवा					
श्रम संसाधन					
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन					
आपदा प्रबंधन					
पंचायती राज					
योजना एवं विकास					
गृह					
वित्त					

तालिका 3 : बाल बजट (केंद्र प्रायोजित स्कीम/ केंद्रीय क्षेत्र स्कीम)

विभाग	बाल बजट (केंद्र प्रायोजित स्कीम/ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम)				
	विपत्र कोड	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2020-21 (बजट अनुमान)
शिक्षा					
समाज कल्याण					
स्वास्थ्य					
ग्रामीण विकास					
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण					
अल्पसंख्यक कल्याण					
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण					
अ०जा० एवं अ०ज०जा० कल्याण					
कला, संस्कृति एवं युवा					
श्रम संसाधन					
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन					
आपदा प्रबंधन					
पंचायती राज					
योजना एवं विकास					
गृह					
वित्त					

तालिका 4 : बाल बजट (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

विभाग	बाल बजट (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)				
	विपत्र कोड	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2020-21 (बजट अनुमान)
शिक्षा					
समाज कल्याण					
स्वास्थ्य					
ग्रामीण विकास					
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण					
अल्पसंख्यक कल्याण					
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण					
अ०जा० एवं अ०ज०जा० कल्याण					
कला, संस्कृति एवं युवा					
श्रम संसाधन					
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन					
आपदा प्रबंधन					
पंचायती राज					
योजना एवं विकास					
गृह					
वित्त					

ग्रन्थसूची

बिहार सरकार (2016)., 'बिहार बजट मैनुअल - 2016', वित्त विभाग, पटना, बिहार सितंबर 2016.

बिहार सरकार (2016-17), 'वित्तीय लेखे - खंड 1', भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, मार्च 2018, नई दिल्ली.

भारत सरकार (2010), 'बजट मैनुअल', बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, सितंबर 2010, नई दिल्ली.

भारत सरकार (2019-20), 'बजट परिपत्र', बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, सितंबर 2018, नई दिल्ली.

झा, जे., मधुसूदन राव, बी.वी., सिद्धार्थ, एस., सौम्या, जे., लक्ष्मी, पी.टी., सुस्मिता, एम.वी., दीपा, के.एस., और अब्राहम, एस.एम. (2019)., पब्लिक एक्सपेंडीचर ऑन चिल्ड्रेन इन इंडिया : ट्रेंड्स एवं पैटर्न्स. बंगलोर : सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड, भारत.

सेव द चिल्ड्रेन (2016), चाइल्ड बजट फॉर 2016-17 : स्टेपिंग इन्टू द एरा ऑफ एसडीजीज फॉर एवरी लास्ट चाइल्ड. <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-budget-2016-17-stepping-era-sdgs-every-last-child> से प्राप्त.

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (2016), जेनरल कमेंट नंबर 19 (2016) ऑन पब्लिक बजटिंग फॉर द रिअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन्स' राइट्स (आर्टिकल 4).

द यू.एस. एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन (2007), 'एजेंसी गाइडेंस फॉर द प्रीपेरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स', EPA QA/G-6, EPA/600/B-07/001, U.S. EPA, अप्रिल 2007, वाशिंगटन डीसी 20460.

